# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA2021-397Ju2021-205 Indrakanwar ors Vs Pukharam etc

---

01. इन्द्रकंवर पत्नी उदयकरण
02. नरसिंगदान पुत्र उदयकरण
दोनो जातियान् चारण, निवासीगण- वेहचारणान्, खेतासर, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

**अपीलाण्ट्स ...**

**ब**

**ना**

**म**

1. पुखाराम पुत्र वीजाराम
2. रामुराम पुत्र वीजाराम
3. पपुराम पुत्र वीजाराम
4. महेन्द्र पुत्र वीजाराम
5. रुकमों पत्नी वीजाराम
6. सवाईराम पुत्र वीजाराम
7. संतु पत्नी जवराराम
जातियान् मेघवाल, निवासीगण- जसनाथनगर, खेतासर, तहसील औसियां, जिला जोधपुर

**प्रफोंमा पक्षकार**

8. ओमाराम पुत्र चन्दिया
9. भूरिया पुत्र चन्दिया
10. राजु पुत्र चन्दिया
11. पपु पुत्र चन्दिया (लाऔलाद फौत)
12. खेताराम पुत्र गोरखाराम
13. झुम्बरराम पुत्र मंगलाराम के कायम मुकामः -
    13.1. राजुराम पुत्र झुम्बरराम
    13.2. बाबुराम पुत्र झुम्बरराम
    13.3. रमेश पुत्र झुम्बरराम
    13.4. प्रदीप पुत्र झुम्बरराम
    13.5. अशोक पुत्र झुम्बरराम
14. ढलाराम पुत्र झुम्बरराम
15. थानाराम पुत्र रेखाराम
16. धन्नाराम पुत्र रेखाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

17. मोटाराम पुत्र रेखाराम
18. रेंवतराम पुत्र रेखाराम
19. ओमी पुत्री रेखाराम
20. सुआ पुत्री रेखाराम

जातियान् मेघवाल, निवासीगण- जसनाथनगर खेतासर, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

**21.** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां

**रेस्पो. ...**

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां दिनांक 09 नवंबर 2021 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 433/2020 पुखाराम व अन्य बनाम ओमाराम इत्यादि**

------- 0 -------

**उपस्थित-**

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री कैलाश मेघवाल, श्री स्वर्णसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 7
श्री प्रेम कुमार विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 13/3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 21

## नि र्ण य

**दिनांक : 02 दिसंबर, 2022**

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 433/2020 पुखाराम व अन्य बनाम ओमाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 09 नवंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 12 नवंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट्स संख्या एक से सात ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 344 रकबा 1.0522 हैक्टेयर मौजा जसनाथनगर, तहसील औसियां में स्थित है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट्स की उक्त भूमि में आवागमन हेतु एक पौराणिक रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की भूमि खसरा नं. 342 रकबा 7.9885 हैक्टैयर तथा अप्रार्थी संख्या 14 व 15 की भूमि खसरा नं. 151/1 में सें चलता है। प्रार्थीगण के आवामगन का यही एक मात्र रास्ता है। नजरी नक्शे में मार्क ए से बी व सी के अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये तथा मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 09 नवंबर 2021 को स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भंयकर कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा पेश की गई एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर फैसला कर दिया। उक्त रिपोर्ट मौके के हालात के बिलकुल विपरीत है। यह रिपोर्ट अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में रेस्पोडेंट के कहे अनुसार तैयार कर पेश कर दी गई एवं अपीलार्थी को बुलाया ही नहीं गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नं. 342 व 344 के खातेदारान् ने दुरभि संधी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया ताकि अपीलार्थी की भूमि खसरा नं. 151/1 गांव बेहचारणान् के दो टुकड़े करवाये जा सके अन्यथा उन्हे किसी रास्ते की आवश्यकता ही नहीं थी। गांव जसनाथनगर में स्थित मंदिर व उसके इर्द गिर्द स्थित आबादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

क्षेत्र से सभी रेस्पोडेंट की भूमियों एवं ढाणियों में आवागमन हेतु पहले से सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है एवं जिनसे वे आवागमन कर रहे है। इस बारे में कमिश्नर ने भी कोई जांच नहीं की एवं सीधे ही रिपोर्ट रेस्पोडेंट के कहे अनुसार पेश कर दी। अपीलाधीन आदेश में दिनांक 03.11.2021 की कमीश्नर की रिपोर्ट का उल्लेख है, परन्तु पत्रावली में उस तिथि की कोई रिपोर्ट उपलब्ध ही नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उसकी नकल मांगी गई, परन्तु पत्रावली में रिपोर्ट ही नहीं थी। अपीलार्थी की भूमि खसरा नं. 151/1 गांव वेहचारणान् में स्थित है, जबकि रेस्पोडेंट की भूमियां गांव जसनाथ नगर में आयी हुई है, इस कारण अपीलार्थी की भूमि खसरा नं. 151/1 की भूमि में सें रास्ता देने का न तो कोई अधिकार था एवं न कानूनन ऐसा किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी औसियां के न्यायालय में पत्रावली राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के इन्तजार में लंबित थी, जिस पत्रावली में दिनांक 31.03.2021 के पश्चात पेशी मुकर्रर ही नही थी, परन्तु पत्रावली को अकस्मात कैम्प कोर्ट में ले जाकर विना सुनवाई के निर्णित कर दिया एवं बीच के समय की आज्ञा सूचियों का संधारण एक साथ सील लगाकर कर दिया गया। खसरा नं. 151/1 गांव वेह चारणान् की भूमि पर सिंचित काश्त होती है जो अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि है, जिस में सें कभी कोई रास्ता नहीं चलता था, वल्कि तारवंदी की हुई थी। वकील अपीलांट ने अपनी वहस जारी रखते हुए कथन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 722/2020 अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2021 के जरिये खसरा नं. 360, 359, 358, 364, 366, 368, 370 में गैर मुमकिन रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है जो रास्ता रेस्पोडेंट्स के खेत के निकटतम रास्ता है एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौके पर उपलब्ध होकर चालू है। वर्तमान मामले में रेस्पोडेंट को किसी रास्ते की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जिन परिस्थितियों में धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है वे परिस्थितियां वर्तमान मामले में विधमान ही नहीं थी। इस कारण कोई रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 नवंबर 2021 को अपास्त फरमाया जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से सात के अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई अन्य निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को रजिस्टर्ड सम्मन से तामील करवायी, फिर भी वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा न ही मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया हैं। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 13/1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 13/1 रमेश कुमार एक विकलांग एवं अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिसके सह खातेदारी की भूमि गांव जसनाथ नगर में खसरा नं. 342 की भूमि में सें कोई रास्ता कभी भी नहीं चलता था। मौके पर रेस्पोडेंट की ढाणियां इत्यादित बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने झूमरराम के किसी भी वारिस को विना सुनवाई के उसकी भूमि खसरा नं.

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

342 में सें रास्ता निकालने का आदेश पारित किया है। माननीय न्यायालय से जारी सम्मन भी रेस्पोंट झूमरराम के वारिसान् को नहीं मिले है। रेस्पो. झूमरराम के वारिसान् शहर में रहते है एवं केवल काश्त के समय ही गांव जाते है अन्यथा शहर में ही मजदूरी करते है। हाल ही में दिवाली पर जब रेस्पोडेंट संख्या 13/3 अपनी माता के साथ गांव गया तो वहां गांव में ऐसी अफवाह सुनी कि रेस्पोडेंट के खेत खसरा नं. 342 में रास्ता निकालने का आदेश उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा दिया गया एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से पता किया तो अवगत करवाया गया कि पत्रावली न्यायालय हाजा में भिजवा दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट रमेश कुमार पर सम्मन की तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना गैर कानूनी अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अंत में वकील रेस्पोडेंट संख्या 13/3 ने निवेदन किया कि हस्तगत अपील को स्वीकार फरमाया जावे तथा खसरा नं. 342 गांवा जसनाथ नगर बाबत जो रास्ता निकालने का आदेश दिया गया है उक्त आदेश को अपास्त किया जावे।

योग्य राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। **उपलब्ध अभिलेख मुताबिक** न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा दिनांक 16.03.2021 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 सपठित धारा 136 के तहत राजस्व वाद संख्या 722/2020 में आदेश पारित कर खसरा नं. 360 रकबा 23.15 बीघा में सें 18 बिस्वा, खसरा नं. 359 रकबा 9.17 बीघा में सें 03 बिस्वा, खसरा नं. 358 रकबा 27.10 बीघा में सें 11 बिस्वा, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नं. 364 रकबा 35.06 बीघा में सें 07 बिस्वा, खसरा नं. 366 रकबा 35.17 बीघा में सें 13 बिस्वा, खसरा नं. 368 रकबा 12.08 बीघा में सें 11 बिस्वा, खसरा नं. 370 रकबा 780.16 बीघा में सें 2.5 बीघा भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है। वकील अपीलांट का कथन है कि उक्त आदेश से प्रदत रास्ता रेस्पोडेंट के खातेदारी खेत के निकटम एवं लघुतम रास्ता है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 16.04.2021 (मौका फर्द तैयारी दिनांक 09.04.2021) में रेस्पोडेंट संख्या एक से सात के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा मौके पर मौजूद वैकल्पिक रास्ते के अन्य विकल्पों बाबत कोई जांच किया जाना नहीं पाया जाता है।

रेस्पोडेंट संख्या 13/1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मुताबिक रेस्पो. रमेश वर्तमान में भूण्टिया सूरसागर जोधपुर शहर में निवास करता है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय उनके सम्मन गांव के पते पर भिजवाये गये। जिससे उन पर सम्यक तामील नहीं हो सकती तथा उसे सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हो सका।

इन परिस्थतियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मौके पर उपलब्ध निकटतम रास्ते के अन्य विकल्पो की जांच किये बिना तथा पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है, जो अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अ... ...धिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश 09 नवंबर 2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सभी पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों बाबत उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब कर निकटतम एवं लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित करे। साथ ही अपीलांट्स को हिदायत है कि मौके पर रास्ता चालू है तो रेस्पोडेंट्स के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा रास्ते के संबंध में उभय पक्ष मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02-12-2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर